कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, सिवनी (म.प्र.)

// आदेश //

(अंतर्गत धारा 144 दंड प्रक्रिया संहिता 1973)

क्रमांक / 3286 / एस.डब्ल्यू. / 2020 सिवनी, दिनांक 01.06.2020

कोरोना वायरस संक्रमण (कोविड–19) अंतर्गत, भारत सरकार, गृह मंत्रालय के आदेश क्रमांक / 40–3 / 2020–DM–I(A) नई दिल्ली, दिनांक 30 मई, 2020 के द्वारा कंटेनमेंट जोन में लाकडाउन की अवधि को 30 जून 2020 तक के लिए बढाया है एवं पूर्व से प्रतिबंधित गतिविधियों को चरणबद्ध तरीके से प्रांरभ करने के दिशा निर्देश जारी किए है। मध्यप्रदेश शासन, गृह विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल का पत्र क्रमांक 189 / 2020 / सी–2 भोपाल, दिनांक 31.05.2020 द्वारा अतिरिक्त दिशा–निर्देशों के साथ निर्देशों का पालन सुनिश्चित किए जाने हेतु आदेशित किया गया है ।

अतः मैं डॉ. राहुल हरिदास फटिंग, कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, सिवनी एतद् द्वारा दण्ड प्रक्रिया संहिता–1973 की धारा–144 में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए यह आदेशित करता हूँ कि –

समस्त प्रतिष्ठान, दुकानें प्रतिदिन प्रातः 08 बजे से सायं 07 बजे तक खुले रहेगी। अत्यावश्यक सेवाओं को छोड़कर शेष समस्त गतिविधियॉ रात्रि 09.00 बजे से सुबह 05.00 बजे तक प्रतिबंधित रहेगी। इस दौरान जिले में दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अंतर्गत निषेधाज्ञा (कफ्र्यू) जारी रहेगा।

यदि कोई व्यक्ति उपर्युक्त आदेश का उल्लंघन करता पाया जाता है, तो उसके विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता के प्रावधानों के तहत अभियोजन की कार्यवाही की जावेगी। ये आदेश तत्काल प्रभाव से प्रभावशील रहेगा एवं इस आदेश का उल्लंघन धारा 188 भारतीय दण्ड विधान अंतर्गत दण्डनीय उपराध की श्रेणी में आवेगा।

आदेश की शेष शर्ते एवं कंडिकाएँ आदेश क्रमांक 3141 दिनांक 21.05.2020 के अनुसार यथावत रहेगी।

यह आदेश दिनांक 01 / 06 / 2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया।

यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

(डॉ. राहुल हरिदास फटिंग)
जिला दण्डाधिकारी,
जिला–सिवनी

Scanned with CamScanner

पृ. क्रमांक / 3286 A/ एस.डब्ल्यू. / 2020 सिवनी, दिनांक 01.06.2020

प्रतिलिपि :—

1. प्रमुख सचिव, म.प्र.शासन, गृह विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल।
2. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल।
3. प्रमुख सचिव, म.प्र.शासन, महिला एवं बाल विकास विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल।
4. प्रमुख सचिव, म.प्र.शासन, स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल।
5. प्रमुख सचिव, म.प्र.शासन, उच्च शिक्षा विभाग, भोपाल।
6. आयुक्त, जबलपुर संभाग, जबलपुर।
7. पुलिस महानिरीक्षक, जबलपुर।
8. उप पुलिस महानिरीक्षक, छिन्दवाड़ा।
9. पुलिस अधीक्षक, जिला सिवनी की ओर भेजकर लिखा जाता है कि, आदेश की प्रति समस्त थाना प्रभारियों को उपलब्ध कराते हुए आदेश/निर्देशों का सख्ती से पालन करवाना सुनिश्चित करें।
10. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत सिवनी।
11. अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी/अपर कलेक्टर, सिवनी।
12. समस्त अनुविभागीय दण्डाधिकारी, ... सिवनी ।
13. परियोजना अधिकारी, शहरी विकास अभिकरण, सिवनी ।
14. सर्व अनुविभागीय अधिकारी (पुलिस) .... जिला सिवनी
15. सर्व मुख्य नगरपालिका अधिकारी, ... जिला सिवनी
16. सर्व थाना/चौकी प्रभारी, जिला सिवनी को पुलिस अधीक्षक सिवनी के माध्यम से पालनार्थ,।
17. सहायक संचालक, जनसंपर्क, सिवनी की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
18. जिला सूचना–विज्ञान अधिकारी, एन.आई.सी. सिवनी की ओर जिला प्रशासन की वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
19. सम्बंधित समस्त अधिकारी।

जिला दण्डाधिकारी,
जिला—सिवनी

Scanned with CamScanner